प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0,
योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक: मनरेगा–सेल/पत्रा0सं0–14(1)/638/2021 लखनऊ:: दिनांक: 10 मार्च, 2021

विषय:– मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मनरेगा योजनान्तर्गत लोकपाल पद पर नियुक्ति हेतु चयन के संबंध में प्रकाशित विज्ञप्ति को ग्राम्य विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–विज्ञप्ति

भवदीय,

10/3/21

(महेश नारायण पाण्डेय)
संयुक्त आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, उ0प्र0।

21 विधान सभा मार्ग :: लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : मनरेगा सेल/पत्रा0सं0–14/ 617 /2020–21 दिनांक 10 मार्च, 2021

विज्ञप्ति

भारत सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के हित संरक्षण हेतु प्रथम चरण में जनपदवार 30 लोकपाल (**Ombudsman**) पद पर चयन हेतु दिनांक 25.03.2021 तक अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। जनपदों का विवरण निम्नवत् है :–

1–सीतापुर, 2–खीरी, 3–बस्ती, 4–सिद्वार्थनगर, 5–हरदोई, 6–प्रयागराज, 7–बहराइच, 8–गाजीपुर, 9–महाराजगंज, 10–मिर्जापुर, 11–सुल्तानपुर, 12–गोण्डा, 13–रायबरेली, 14–बाराबंकी, 15–जालौन, 16–चन्दौली, 17–अमेठी, 18–फतेहपुर, 19–संतकबीर नगर, 20–उन्नाव, 21–गोरखपुर, 22–सोनभद्र, 23–कुशीनगर, 24–मऊ, 25–अयोध्या, 26–बलरामपुर, 27–हमीरपुर, 28–बांदा, 29–बलिया, 30–चित्रकूट।

अर्हता/शर्ते :–

1. आवेदक को व्यक्तियों अथवा जन समुदायिक संगठनों के बीच कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा।
2. आवेदक का लोक प्रशासन, विधि, शिक्षा, सामाजिक कार्य एवं प्रबन्धन में न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ सामाजिक क्षेत्र में ख्याति अच्छी हो।
3. लोकपाल के चयन में उसी जनपद के निवासी अथवा पड़ोसी जनपद के निवासी को वरीयता दी जा सकती है।
4. आवेदक को किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा प्रतिबन्धित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदक को इस सम्बन्ध में इस आशय का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ नोटरी पर संलग्न करना होगा।
5. आवेदक को जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा, निरीक्षण और भ्रमण कार्यों के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय एवं सक्षम होना चाहिए।
6. लोकपाल पद पर नियुक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा उसके कार्य निष्पादन के आधार पर अधिकतम 01–01 वर्ष के लिए दो बार 68 वर्ष की उम्र सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।
7. लोकपाल के पद पर पूर्व में तैनात व्यक्ति पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं होगें।
8. आयु गणना की तिथि 01 जुलाई 2020 होगी।
9. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित)
10. लोकपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति को प्रति सिटिंग रू0 1,000.00 माह में अधिकतम रू0 20,000.00 की सीमा तक मानदेय देय होगा।
11. क्षेत्रीय भ्रमण के लिए अनुमन्य टी0ए0/डी0ए0 की दरें राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी के सामान होगी।
12. चयन के उपरान्त चयनित जनपद के अलावा अतिरिक्त जनपद भी आवंटित किया जा सकता है परन्तु विन्दु सं0–10 प्रभावी रहेगा।
13. आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से कार्यालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ, 21 विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में दिनांक 25.03.2021 के सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किए जायेंगे।
14. निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(महेश नारायण पाण्डेय)
संयुक्त आयुक्त (मनरेगा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

रोजगार गारण्टी आयुक्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner

लोकपाल (Ombudsman) पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

भाग अ–व्यक्तिगत सूचना

पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

1– आवेदित जनपद का नाम –
2– आवेदित पद का नाम– लोकपाल (Ombudsman)
3– आवेदक का नाम–..
4– पिता/पति का नाम–..
5– पत्राचार का पता– ....
(ई–मेल आई.डी./मोबाईल नं0 सहित)...
6– स्थायी पता–..
(आधार/पासपोर्ट/वोटर आई.डी. की छायाप्रति संलग्न करें)
7– जन्म तिथि–..............................(हाईस्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8– क्या मानसिक व शरीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु सक्षम है–
(राजकीय चिकित्सक का प्रमाण–पत्र 06 माह के अन्दर जारी संलग्न करें)–.........................
9– क्या किसी राजनैतिक पार्टी अथवा प्रतिबंधित संगठन के सदस्य है– ....
(सदस्य न होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें)–
10– क्या आपराधिक केस में दण्डित/आरोपित हुए है ....
(नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें)–..
11–क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्व.यन में सम्मिलित रहे हैं ....
(यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें)–

भाग ब–शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी सूचना

12– अधिकतम शैक्षिक योग्यता :–...
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करें)

13– अनुभव–................................ (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करें)

क्र0सं0	अनुभव का क्षेत्र	कार्य का विवरण	वर्षवार कार्य की तिथि– (....... से .... तक)	कार्य अवधि वर्ष .... माह..........
1				
2				
3				
4				
5				

14– धारित अंतिम पद का विवरण एवं वेतन तथा सेवानिवृत्त होने की तिथि.................
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करें)

15– किसी सोसाईटी/व्यावसायिक संगठन का सदस्य होने की स्थिति में विवरण दें
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित) छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त सूचनाएं सत्य है, मैंनें विज्ञापन एवं भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल संबंधी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर लिया है और मुझे पता है कि लोकपाल का कार्य एक अंशकालीन कार्य है लोकपाल को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम–2005, नियमों व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश पर कार्य करना है।

स्थान–

दिनांक–
संलग्नकों का विवरण–
1.
2.

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का नाम ....

(महेश नारायण पाण्डेय)
संयुक्त आयुक्त (मनरेगा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

Scanned with CamScanner